रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 552] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1979/पौष 1, 1901
No. 552] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 22, 1979/PAUSA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1979

का. आ. 862 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि इसकी दिनांक 16 नवम्बर, 1979 की अधिसूचना सं. 434/अरुणाचल/79 (1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में—

(क) पद संख्या 1, 1-अरुणाचल-पश्चिम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद "3-सर्किल आफिसर, सिथुम तथा 4-सर्किल आफिसर, तालीं" तथा

(ख) मद संख्या 2, 2-अरुणाचल पूर्व संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर, के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद "6-सर्किल आफिसर, क्रोंली तथा 7-अतिरिक्त सहायक आयुक्त, विजय नगर",

प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी ।

[सं. 434/अरुणाचल/79(1)]

के. गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1979

S.O. 862(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/ARUN/79(1) dated the 16th November, 1979, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification—

(a) against item 1, Returning Officer of 1-Arunchal West Parliamentary Constituency, after the existing entries, the entries "3. Circle Officer, Siyum and 4. Circle Officer, Tali", and

(b) against item 2, Returning Officer of Arunachal East Parliamentary Constituency, after the existing entries, the entries "6. Circle Officer, Kronli and 7. Extra Assistant Commissioner, Vijoyanagar",

shall be added.

[No. 434/ARUN/79(1)]

K. GANESAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979